भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 226*
(09 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों का निर्माण

226*. श्री दिलेश्वर कामैतः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बिहार में, विशेषकर सुपौल जिले में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत बनाई जा रही सड़कों/चल रही सड़क परियोजनाओं की संख्या कितनी है;
(ख) उक्त सड़कों के निर्माण का कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;
(ग) सुपौल जिले की समस्त बसावटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने हेतु आगामी वर्षों में निर्मित किए जाने हेतु प्रस्तावित सड़कों की संख्या कितनी है; और
(घ) उक्त सड़कों की गुणवत्ता तथा इन्हें समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करने हेतु विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क)से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 9.7.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्र.सं. 226 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): बिहार सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत स्वीकृत 17,734 (सत्रह हजार सात सौ चौंतीस) सड़क परियोजनाओं में से 15,860 (पंद्रह हजार आठ सौ साठ) सड़क परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। बिहार के सुपौल जिले में, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत 224 (दो सौ चौबीस) सड़क परियोजनाओं में से 167 (एक सौ सड़सठ) सड़क परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 44 (चौवालीस) सड़क परियोजनाएं समापन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं तथा इन्हें मार्च, 2020 (दो हजार बीस) तक पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। शेष बची 13 (तेरह) सड़क परियोजनाओं में से 2 (दो) परियोजनाएं भूमि विवाद की वजह से रूकी हुई हैं, 2 (दो) परियोजनाओं की निविदा प्रक्रिया चल रही है और 9 (नौ) सड़क कार्यों को छोड़ दिए जाने का प्रस्ताव किया गया है क्योंकि लक्षित बसावटों को अन्य योजनाओं के माध्यम से सड़क संपर्कता मुहैया करा दी गई है।

(ग): पीएमजीएसवाई 2001 (दो हजार एक) की जनगणना के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में कोर नेटवर्क में मौजूद 500 (पांच सौ) व्यक्तियों और उससे अधिक की आबादी वाली सड़क संपर्कविहीन पात्र बसावटों को एकल बारहमासी सड़क के माध्यम से ग्रामीण सड़क संपर्कता मुहैया कराने की दृष्टि से भारत सरकार की एकबारगी विशेष पहल है। बिहार के सुपौल जिले में कोर नेटवर्क में 500 (पांच सौ) से अधिक की नामित आबादी आकार वाली 630 (छः सौ तीस) पात्र बसावटों में से 606 (छः सौ छः) बसावटों को पहले ही सड़कों से जोड़ दिया गया है जिनमें राज्य द्वारा उनके खुद के संसाधनों से जून, 2019 (दो हजार उन्नीस) तक सड़कों से जोड़ी गई 168 (एक सौ अड़सठ) बसावटें भी शामिल हैं। शेष बची व्यवहार्य बसावटों को जल्द से जल्द सड़कों से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है।

(घ): पीएमजीएसवाई में अच्छे सड़क कार्यों का निर्माण कार्य सुनिश्चित करने और सड़क परिसंपत्तियों का टिकाऊपन सुनिश्चित करने के लिए एक अत्यंत सुव्यवस्थित त्रि-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था है। पहले स्तर के अंतर्गत, कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयों (पीआईयू) को क्षेत्रीय प्रयोगशाला में सामग्री और कार्यकौशल संबंधी अनिवार्य परीक्षाओं के माध्यम से प्रक्रियागत नियंत्रण सुनिश्चित करना होता है। दूसरा स्तर राज्य गुणवत्ता मॉनीटरों (एसक्यूएम) के माध्यम से राज्य स्तर पर सुव्यवस्थित गुणवत्ता निगरानी है जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि निर्माण के शुरूआती, मध्य एवं अंतिम स्तर पर प्रत्येक कार्य की जांच की जाती है। तृतीय स्तर के अंतर्गत, गुणवत्ता की निगरानी की दृष्टि से सड़क कार्यों की यादृच्छिक जांच करने और क्षेत्रीय कर्मियों को वरिष्ठ पेशेवरों का मार्गदर्शन मुहैया कराने के लिए भी स्वतंत्र राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटर (एनक्यूएम) तैनात किए जाते हैं। इस त्रि-स्तरीय

व्यवस्था के अंतर्गत सड़कों की गुणवत्ता की आवधिक निगरानी के आधार पर, राज्य सरकारों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों (आरआरएम), निष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) की बैठकों, राज्यों के साथ पूर्व अधिकार-प्राप्त/अधिकार-प्राप्त समिति की बैठकों के माध्यम से पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण में हुई प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। जिला स्तर पर, संसद सदस्य (लोक सभा) के नेतृत्व में जिला विकास समन्वयन एवं निगरानी समिति (दिशा) पीएमजीएसवाई सहित भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करती है। इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ विशेष समीक्षा बैठकें भी करते हैं।